

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी—श्री सी. एल. शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या 62/2018

श्री कल्याण पिला अगिला दोगरा नि 0 गोकलपुरा तहसील
करेडा — प्रार्थी

वनाम

श्री पन्ना पिला अगिला भील नि 0 गोकलपुरा तहसील
करेडा — विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक: 18-3-2018

प्रार्थी को और से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0निगम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोकलपुरा पटवार तहसील भीमडियाल तहसील मांडल/करेडा में उराके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं 369 370 कुल किता 2 रकबा 05 बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी गुतदायिवा के सीमा बिन्दु नहीं हाने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

परस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 8-3-18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे बगैर की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार क आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 खण्ड सेवेन्थ एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गोकलपुरा पटवार तहसील भीमडियाल तहसील मांडल/करेडा में स्थित आराजी नम्बर 369 370 कुल किता 2 रकबा 05 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अजयपुरा को 300/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण गौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी,
मांडल उपखण्ड अधिकारी
मांडल पिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:— तहसीलदार मांडल/करेडा को अन्तर्गत लेख के कि प्रार्थी द्वारा सीमा जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,
मांडल उपखण्ड अधिकारी
मांडल पिला भीलवाड़ा